

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार-कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

:- चिकित्सा अधिकारी दन्त के पद पर स्थाई नियुक्ति हेतु अर्थना/विज्ञप्ति :-

क्रमांक:- संस्था/चि.अ./ए.टी./वि.भ./प.4/2018/

दिनांक :-/01/2018

राजस्थान चिकित्सा सेवा नियम-1963 के संशोधित नियम 2011 के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग, राजस्थान जयपुर के अधीन स्थापित चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सा अधिकारी दन्त के 113 रिक्त पदों को स्थाई रूप से भरने हेतु अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर उपयुक्त अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। भरे जाने वाले पदों का श्रेणीवार विवरण निम्न प्रकार है :-

पदों की संख्या	अनारक्षित वर्ग		आरक्षित पदों की संख्या (राजस्थान के)												विशेष जन (निःशक्तजन) LD & CP (O.L.)							
			अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				एम.बी.सी.				वर्तमान के पद	बैक लॉग के पद		
	सा	महिला			सा	महिला			सा	महिला			सा	महिला								
113	39	16	1	-	14	5	-	-	9	4	-	-	17	7	-	-	1	-	-	-	3	

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आवश्यक होने पर उपरोक्त रिक्तियों की संख्या घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती।

विशेष जन (निःशक्तजन) व्यक्तियों के लिये:-

- (अ) उपरोक्त दर्शाई गई अक्षमताओं की प्रकृति वाले अभ्यर्थियों को निम्न प्रकार से अनिव्यक्त किया जाता है:-
 O.L.- One leg affected (R or L)
 (a) impaired reach (b) weakness of grip (c) at axic
 O.A.- One arm affected (R or L)
 (a) impaired reach (b) weakness of grip (c) at axic
- (ब) निःशक्तजन के लिये दर्शाये गये आरक्षित पदों का आरक्षण दण्डवत् (Horizontal) रूप में है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति/सामान्य वर्ग) का होगा। उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जावेगा।
- (स) आवेदन-पत्र के यथा स्थान पर वर्ग विशेष 'निःशक्त व्यक्ति' (विदलंग) का उल्लेख करें तथा इस संबंध में निर्धारित प्रपत्र पर चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र जिसमें चिन्हित श्रेणी का अवश्य उल्लेख हो, की सत्यापित फोटो प्रति भी अवश्य प्रस्तुत करें अन्यथा प्रार्थी को इसका लाभ दिया जाना संभव नहीं होगा।

महिलाओं के लिए आरक्षित पदों में से 8% पद विधवा महिलाओं के लिये तथा 2% पद परिवारिकता महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। विधवा/परित्यक्ता महिला उपलब्ध नहीं होने पर इन्हें उसी श्रेणी की सामान्य महिलाओं से भरा जावेगा।

राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में किन्ही भी परिस्थितियों में इस प्रकार की आरक्षित रिक्ति को सीधी भर्ती द्वारा सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से ही भरा जावेगा। पिछड़ी जाति के योग्य एवं पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध नहीं होने पर उक्त पदों को सामान्य प्रकिया से भरा जा सकेगा।

विदलंग अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इनके आरक्षित रिक्त पदों को सीधी भर्ती द्वारा सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से आगामी तीन वर्ष तक नहीं भरा जावेगा।

अनिवार्य योग्यता : बी0डी0ए0सी0. कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ03(7)डी0पी/ए-11/97 दिनांक 17/09/99 के प्रावधान के अनुसार। राजस्थान डेंटल कौंसिल का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि आवेदन पत्र भरवाये जाने से पूर्व अभ्यर्थियों का राजस्थान डेंटल कौंसिल से रजिस्ट्रेशन होने पर ही परीक्षा में सम्मिलित किया जावे व पीजी अध्ययनरत चिकित्सकों को नियुक्ति की दिनांक तक पीजी पूर्ण होने वाले अभ्यर्थी ही नियुक्ति के पात्र होंगे, की शर्त का विज्ञप्ति में उल्लेख किया जावे।

कृ०पृ०स०

योग्यताएं/अनुभव : "देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान"
 अधिमान्य (हिन्दी) में पद का वेतनमान : 15600-39100 (पे बैंड 3) (ग्रेड-पे सं 15, 5400/-) में दो वर्ष तक परिवीक्षा काल में राशि रुपये 39,300/- प्रतिमाह देय होगा।

आयु (क) आयु सीमा- न्यूनतम एवं अधिकतम:- 22 वर्ष न्यूनतम एवं 47 वर्ष अधिकतम।

(ख) अधिकतम आयु सीमा में छूट:-

- (i) राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1963 के नियम 10 के अंतर्गत-
- (i) कार्मिक विभाग के अधिसूचना क्रमांक प07(2)कार्मिक/क-2/93 पार्ट दिनांक 25/05/2000 के अनुसरण में अ0जा0/अ0ज0जा0/पिछडी जाति के लिये अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय होगी।
- (ii) कार्मिक विभाग के अधिसूचना क्रमांक प07(2)कार्मिक/क-2/84 भाग 18 दिनांक 30/04/2001 के अनुसरण में राजस्थान के अ0जा0/अ0ज0जा0/पिछडी जाति की महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट एवं सामान्य प्रवर्ग की महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट।
- (iii) Ex- Service Man अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु 50 वर्ष होगी।
- (iv) विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं के लिये अधिकतम आयु सीमा नहीं है।
- (v) कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 22/09/2000 के अनुसरण में सामान्य वर्ग के नि:शक्त जन के लिये अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष पिछडे वर्ग के नि:शक्त जन के लिये अधिकतम आयु सीमा में 13 वर्ष एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नि:शक्त जन के लिये अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट देय होगी।
- (vi) कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23/09/08 के अनुसरण में विभाग द्वारा पूर्व में वर्ष 2014 को आर0यू0एच0एस0 द्वारा विज्ञापित जारी की गई थी, इसलिये अधिसूचना दिनांक 23/09/08 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी।


पद/पदों से संबंधित कार्य (हिन्दी) में:- चिकित्सा संबंधित कार्य
 मुख्यालय : राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1963 के नियम 22'ए' में उपलब्ध प्रधान के अनुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान राज्य के अधीन किसी भी चिकित्सा केंद्र जहां पर सुनिश्चित है।

नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी होने के अधिकतम एक माह में कार्यग्रहण करना अनिवार्य है।

कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या एफ07(1)डी.ओ.पी./ए-11/1995(10/03) दिनांक 08/04/03 के अनुसार ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके दिनांक 01/06/2003 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हो सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

कार्मिक (क-2) विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 30/06/06 के अनुसार आवेदक के विवाहित होने की स्थिति में आवेदक से विवाह पंजीयन की सूचना लिया जाना अनिवार्य है।

अभ्यर्थियों को नियुक्ति पर कार्यग्रहण करने से पूर्व अपना स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र तथा संबंधित पुलिस अधीक्षक से पुलिस चरित्र प्रस्तुत करना होगा। जिन पुरुष/महिला अभ्यर्थी के एक से अधिक पत्नि/पति है वे इन नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। जिन अभ्यर्थियों ने अपने विवाह के समय पहचान लिया/दिया है वे इन नियुक्तियों के पात्र नहीं होंगे।


 निदेशक (अप स्वास्थ्य),
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
 राजस्थान जयपुर।